

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for proposed Parsa Open Cast Coal Mine (5 MTPA). area - 841.538 ha. में से सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत 614.219 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

भाग—II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/MIN/20742/2016

1	परियोजना/स्कीम का स्थान	परसा कोल ब्लॉक खुली खदान परियोजना				
I	राज्य/संघ शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़				
II	थजला	सरगुजा				
III	वन प्रभाग	सरगुजा वन मण्डल				
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि					
		जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल		
		सरगुजा	सरगुजा	ग्राम घाटबर्वा, फतेहपुर, हरिहरपुर एवं साल्ही, तहसील उदयपुर		
		वन खण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)	साईट क्वालिटी	घनत्व
	क. सीमांकित आरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	ख. सीमांकित संरक्षित वन	घाटबर्वा	पी-2006	298.496	III	0.5
		घाटबर्वा	पी-2005	50.63	III	0.5
		फतेहपुर	पी-1998	21.329	III	0.5
		योग :-		370.455		
	ग. असीमांकित संरक्षित वन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	घ. राजस्व वनभूमि	तहसील	ग्राम का नाम	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे. में	साईट क्वालिटी	घनत्व
		उदयपुर	फतेहपुर	78.609	III	0.0—0.4
			घाटबर्वा	4.822	III	0.0—0.4
			हरिहरपुर	74.895	III	0.0—0.4
			साल्ही	85.438	III	0.0—0.4
		योग :-		243.764		
		महायोग :-		614.219		
V	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि				
VI	वनस्पति का घनत्व	0.5				
VII	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजना के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4मी. भी संलग्न किए जाए।	परसा कोल ब्लॉक अन्तर्गत खड़े वृक्षों का प्रजातिवार सम्पल प्लॉट के आधार पर गणना प्रतिवेदन संलग्न है। प्रमुख वृक्ष प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम एवं स्थानीय नाम की जानकारी संलग्न है।				


प्रियंका पाण्डेय
 भा.व.से.
 वनमण्डलाधिकारी
 सरगुजा वनमण्डल
 छत्तीसगढ़ (छ.ग.)

VIII	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवेदित क्षेत्र हसदो अरण्य वनक्षेत्र, हसदो कैचमेंट है तथा पुरुत्पादन की स्थिति अच्छी है। अतः भू-क्षरण के दृष्टिकोण से क्षेत्र संवेदनशील है।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल वनसीमा से लगा हुआ क्षेत्र है।
X	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	आवेदित क्षेत्र परम्परागत हाथी कॉरीडोर नहीं है, वरन यदाकदा हाथियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास 02 दिनों में 04 जनहानि दर्ज की गई। हाथी जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से लौट गए तथा यह क्षेत्र कोरबा के भालू विचरण क्षेत्र के करीब है तथा क्षेत्र में भालू (Sloth Bear) की उपस्थिति भी दर्ज की गई है।
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	क्षेत्र साल वन क्षेत्र है जो विनिर्दिष्ट वनोपज है तथा राजकीय वृक्ष है।
XII	क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	रामगढ़ की पहाड़ियों के समीप है। इस हेतु कलेक्टर सरगुजा जिला अम्बिकापुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-I कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	परसा कोल ब्लॉक हेतु आवेदित क्षेत्र भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08.09.2015 द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर को आबंटित किया गया है। परियोजना के लिए वनभूमि की आवश्यकता मांग अनुसार है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 52 भू-खण्ड कुल रकबा 1684.660 हे. क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो कोरिया जिले में स्थित है। सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की जानकारी संलग्न है।
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	सागौन, साल, बीजा, हल्दू, मुण्डी, शीशम, खम्हार, तीन्सा, आँवला, हर्रा, बहेरा, महुआ, कुसुम, कुल्लु एवं बांस इत्यादि प्रजातियों का 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। क्रियान्वयन एजेंसी छ.ग. शासन वन विभाग वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर है।


प्रियंका पाण्डेय
 भा.व.से.
 वनमण्डलाधिकारी
 सरगुजा वनमण्डल
 अम्बिकापुर (छ.ग.)

IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित सिंचित वृक्षारोपण की दर 600222/- प्रति हे. की दर से कुल क्षेत्र 1684.660 हे. के लिए कुल लागत राशि रुपये 1011169995.00 है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	संलग्न है।
5	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न।
6	प्रभाग/जिला प्रोफाईल	सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर
I	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	4043.299 वर्ग कि.मी.
II	वनमण्डल का वन क्षेत्र	144015.367 हेक्टेयर
III	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	2599.555 हे.
IV	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	3982.505 हे.
क	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	निरंक
ख	वनेत्तर भूमि	निरंक
V	वर्ष 2017-18 तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	3982.505 हे.
क	वनभूमि	3982.505 हे.
ख	वनेत्तर	निरंक।
7	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	चूंकि कोयले का भण्डार इस क्षेत्र में है। अतः इसका विकल्प संभव नहीं है, परंतु यहां की वन संपदा विशेष कर साल वृक्ष तथा इसका इस क्षेत्र में पुनुरुत्पादन इसके खुली खदान के विकल्प पर चिन्तन हेतु विवश करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनेत्तर प्रयोग की अनुशंसा की जाती है।

तारीख — 06.03.2018

स्थान — अम्बिकापुर


वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर
प्रियंका पाण्डेय
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल
अम्बिकापुर (छ.ग.)